

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश

उनवान

जाति खाती (सुधार) नि० महराना

बनाम 1. ओमप्रकाश पुत्र श्योचन्द

दावा बाबत :- 88RTACT

2. विनोद कुमार] पि० ओमप्रकाश

3. रविन्द्रपाल]

मुकदमा नम्बर :- 83/2021

जाति खाती (सुधार) नि० महराना

निर्णय दिनांक :- 30/11/2021

वादी की ओर से वकील दीवान सिंह की व प्रतिवादी सं० 1 ता० 3 की ओर से वकील बलवन्त सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक्र 4 MRN के खाता सं० 31/20 के मु० न० 14, 15, 18, 19, 29, 30 इस प्रकार कुल कितना 48 की कुल 12.043 है नहरी मय खाला में प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार चक्र 5 MRN के खाता सं० 14/6 के मु० न० 41, 42, 43, 44, 45, 46 इस प्रकार कुल कितना 69 की कुल 16.040 है नहरी वारानी मय खाला में प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम 1.002 है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजून किया जाकर वादी अरविन्द, प्रतिवादी सं० 2 विनोद कुमार, प्रतिवादी सं० 3 रविन्द्रपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा त्याग किये गये हिस्सा जो वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार वार्षिक शुल्क व स्टाम्प इयूरी अदा ही। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त ही।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़